

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 105]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 14, 2016/पौष 24, 1937

No. 105]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 14, 2016/ PAUSA 24, 1937

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2016

का.आ. 121(अ).—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि, इससे उपाबद्ध अनुसूची में उल्लिखित परिक्षेत्र की भूमि में कोयला अभिप्राप्त किए जाने की संभावना है ;

और, रेखांक संख्या एनसीएल/मुख्यालय/राजस्व/2015/69, तारीख 9 नवम्बर, 2015 को उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि का क्षेत्र अन्तर्विष्ट किया गया है, का निरीक्षण महा प्रबंधक (राजस्व/पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन), नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सिंगरौली -486889, मध्य प्रदेश के कार्यालय में या मुख्य महा प्रबंधक (खोज प्रभाग), सेंट्रल माईन प्लानिंग और डिजाइन इंस्टीच्यूट, गोंडवाना प्लेस, कांके रोड, रांची-834 001, झारखंड के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाऊस स्ट्रीट, कोलकाता-700 001 के कार्यालय में या जिला कलक्टर, सिंगरौली-486 889, मध्य प्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में कोयले का पूर्वोक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है;

उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति –

- (i) उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन धारित किसी नुकसानी या उसकी धारा 4 की उप-धारा (3) के अधीन धारित होने वाले नुकसान की संभावना के लिए प्रतिकर का दावा कर सकेगा ; अथवा

- (ii) उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप – धारा (1) के अधीन समाप्त हो गई पूर्वोक्त अनुज्ञप्तियों के संबंध में या धारा 13 की उप – धारा (4) के अधीन समाप्त हो गए खनन पट्टे के लिए प्रतिकर का दावा कर सकेगा और उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (i) से खंड (iv) में विनिर्दिष्ट मदों के संबंध में उपगत व्यय को उपदर्शित करने के लिए भूमि से संबंधित सभी मानचित्रों, चार्टों और अन्य दस्तावेजों को सुपुर्द करेगा,

इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर, महा प्रबंधक (राजस्व/पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन), नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सिंगरौली- 486889, मध्य प्रदेश को भेजेगें।

अनुसूची

डोगरी -ताल कोल ब्लॉक (चरण I और II)

नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सिंगरौली

जिला –सिंगरौली (मध्य प्रदेश)

(रेखांक संख्या एनसीएल/मुख्यालय/राजस्व/2015/69, तारीख 9 नवम्बर, 2015)

सभी अधिकार :

(क) राजस्व और सरकारी भूमि:

क्र.सं.	ग्राम का नाम	पटवारी सर्किल संख्या	तहसील	जिला	क्षेत्र (हेक्टेयर में)	टिप्पणियां
1.	ताल	58	सरई	सिंगरौली	620.00	भाग
2.	लदवई	57	सरई	सिंगरौली	42.00	भाग
3.	डिगवाह	59	सरई	सिंगरौली	320.00	भाग
4.	भैंसाबूडा	59	सरई	सिंगरौली	68.00	भाग
कुल:					1050.00	

कुल:1050.00 हेक्टेयर(लगभग) या 2594.55 एकड़ (लगभग)

(ख) आरक्षित वन भूमि:

क्र.सं.	कम्पार्टमेंट नम्बर	परिक्षेत्र का नाम	जिला	क्षेत्र (हेक्टेयर में)	टिप्पणियां
1.	341 आर एफ	सरई पूर्व	सिंगरौली	5.00	भाग
2.	342 आर एफ	सरई पूर्व	सिंगरौली	9.00	भाग
3.	343 आर एफ	सरई पूर्व	सिंगरौली	209.00	भाग
4.	345 आर एफ	सरई पूर्व	सिंगरौली	129.59	भाग
5.	350 आर एफ	सरई पूर्व	सिंगरौली	136.76	भाग
6.	351 आर एफ	सरई पूर्व	सिंगरौली	70.00	भाग

7.	573 आर एफ	माड़ा	सिंगरौली	99.48	भाग
8.	574 आर एफ	माड़ा	सिंगरौली	254.47	पूर्ण
9.	575 आर एफ	माड़ा	सिंगरौली	356.84	पूर्ण
10.	344 पी एफ	सरई पूर्व	सिंगरौली	36.16	भाग
11.	571 आर एफ	माड़ा	सिंगरौली	4.50	भाग
12.	572 आर एफ	माड़ा	सिंगरौली	5.20	भाग
कुल:				1316.00	

कुल: 1316.00 (लगभग) या 3251.84 एकड़ (लगभग)

कुल योग (क + ख) = 2366.00 हेक्टेयर (लगभग)

या 5846.39 एकड़ (लगभग)

सीमा वर्णन:

क – ख : रेखा, गोपद नदी के पूर्वी किनारे के बिन्दु 'क' से आरम्भ होती है और कम्पार्टमेंट संख्या 350 आर एफ के पश्चिमी सीमा को काटती हुई कम्पार्टमेंट संख्या 350 आर एफ के मध्य भाग, कम्पार्टमेंट संख्या 351 आर एफ के मध्य भाग, कम्पार्टमेंट संख्या 345 आर एफ के मध्य भाग, कम्पार्टमेंट संख्या 343 आर एफ के पूर्वोत्तर भाग तथा कम्पार्टमेंट संख्या 342 आर एफ से होकर गुजरती हुई बिन्दु 'ख' पर मिलती है।

ख – ग : रेखा, कम्पार्टमेंट संख्या 342 आर एफ के बिन्दु 'ख' से आरम्भ होती है और कम्पार्टमेंट संख्या 342 आर एफ, कम्पार्टमेंट संख्या 343 आर एफ के पूर्वी भाग, कम्पार्टमेंट संख्या 341 आर एफ के दक्षिण – पश्चिमी भाग, कम्पार्टमेंट संख्या 344 पी एफ के पूर्वी भाग ग्राम लदवाई, ग्राम डिगवाह तथा ग्राम भैंसाबूड़ा से होकर गुजरती हुई ग्राम भैंसाबूड़ा में स्थित अमरा नाला की दक्षिणी सीमा के पास बिन्दु 'ग' पर मिलती है।

ग – घ : रेखा, ग्राम - भैंसाबूड़ा में स्थित अमरा नाला की दक्षिणी सीमा के पास बिन्दु 'ग' से आरम्भ होती है और अमरा नाला में से व पास से गुजरती हुई ग्राम –डिगवाह में अमरा नाला की दक्षिण –पश्चिमी सीमा के पास से गुजरती हुई और ग्राम ताल में अमरा नाला के पास समानान्तर से गुजरती हुई कम्पार्टमेंट संख्या 573 आर एफ के मध्य भाग से होकर गुजरती हुई गोपद नदी के पूर्वी किनारे तथा कम्पार्टमेंट संख्या 573 आर एफ के पश्चिमी उभय सीमा के बिन्दु 'घ' पर मिलती है।

घ – क : रेखा, गोपद नदी के पूर्वी किनारे और कम्पार्टमेंट संख्या 573 आर एफ के पश्चिमी उभय सीमा के बिन्दु 'घ' आरम्भ होती है और गोपद नदी के पूर्वी किनारे तथा कम्पार्टमेंट संख्या 573 आर एफ, कम्पार्टमेंट संख्या 350 आर एफ के पास होकर गुजरती हुई आरम्भिक बिन्दु 'क' पर मिलती है।

[फा. सं. 43015/19/2015- पी.आर.आई.डब्ल्यू.-I]

आर. पी. गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th January, 2016

S.O. 121(E).—Whereas it appears to the Central Government that coal is likely to be obtained from the lands in the locality described in the Schedule annexed hereto;

And whereas, the plan bearing number NCL/HQ/ Revenue/2015/69, dated the 9th November, 2015 containing the details of the areas of land described in the said Schedule may be inspected at the office of the General Manager (Revenue/ Rehabilitation and Resettlement), Northern Coalfields Limited, Singrauli-486889, Madhya Pradesh or at the Office of the Chief General Manager (Exploration Division), Central Mine Planning and Design Institute Limited, Gondwana Place, Kanke Road, Ranchi-834001, Jharkhand or at the Office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata-700001 or at the Office of the District Collector, Singrauli-486 889, Madhya Pradesh;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal from the lands described in the said Schedule;

Any person interested in the land described in the said Schedule may –

- (i) claim compensation under section 6 of the said Act for any damage caused or likely to be caused by any action taken under sub-section (3) of section 4 of the said Act; or
- (ii) claim compensation under sub-section (1) of section 13 of the said Act in respect of prospecting licenses ceasing to have effect or under sub-section (4) of section 13 of the said Act for mining lease ceasing to have effect and deliver all maps, charts and other documents relating to the aforesaid lands to show the expenditure incurred in respect of items specified in clauses (i) to (iv) of sub-section (1) of section 13 of the said Act,

to the office of the General Manager (Revenue/ Rehabilitation and Resettlement), Northern Coalfields Limited, Singrauli- 486889, Madhya Pradesh, within a period of ninety days from the date of the publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

Dongri – Tal Coal Block (Phase I & II)

Northern Coalfields Limited, Singrauli

District – Singrauli (Madhya Pradesh)

(Plan bearing number NCL/HQ/Revenue/2015/69, dated the 9th November, 2015)

All Rights:

(A) Revenue and Government land:

Sr. No.	Name of Village	Patwari circle number	Tehsil	District	Area (in hectares)	Remarks
1.	TAL	58	Sarai	Singrauli	620.00	Part
2.	LADWAI	57	Sarai	Singrauli	42.00	Part
3.	DIGWAH	59	Sarai	Singrauli	320.00	Part
4.	BHAINSABURA	59	Sarai	Singrauli	68.00	Part
Total:					1050.00	

Total : 1050.00 hectares (approximately) or 2594.55 acres (approximately)

(B) Reserve forest land:

Sr. No.	Compartment number	Name of Range	District	Area (In hectares)	Remarks
1.	341 RF	Sarai East	Singrauli	5.00	Part
2.	342 RF	Sarai East	Singrauli	9.00	Part
3.	343 RF	Sarai East	Singrauli	209.00	Part
4.	345 RF	Sarai East	Singrauli	129.59	Part
5.	350 RF	Sarai East	Singrauli	136.76	Part
6.	351 RF	Sarai East	Singrauli	70.00	Part
7.	573 RF	Mada	Singrauli	99.48	Part
8.	574 RF	Mada	Singrauli	254.47	Full
9.	575 RF	Mada	Singrauli	356.84	Full
10.	344 PF	Sarai East	Singrauli	36.16	Part
11.	571 RF	Mada	Singrauli	4.50	Part
12.	572 RF	Mada	Singrauli	5.20	Part
Total:				1316.00	
Total: 1316.00 hectares (approximately) or 3251.84 acres (approximately)					

Grand Total (A + B) = 2366.00 hectares (approximately)

or = 5846.39 acres (approximately)

Boundary description :

A-B: The line starts from point 'A' on common eastern boundary of Gopad river and western boundary of compartment number 350 RF and passes through middle of compartment number 350 RF, then middle of compartment number 351 RF, middle of compartment number 345 RF, northern eastern part of compartment number 343 RF and compartment number 342 RF and meets at point 'B'.

B-C : The line starts from point 'B' in compartment number 342 RF and passes through compartment number 342 RF, then eastern part of compartment number 343 RF, southern western part of compartment number 341 RF, eastern part of compartment number 344 PF and passes through village Ladwai, village Digwah and village Bhainsabura, and meets at points 'C' situated over southern boundary of Amra Nala in village Bhainsabura.

C-D : The line starts from southern boundary of Amra Nala situated in village Bhainsabura at point 'C' and passes through southern boundary of Amra Nala, southern western boundary of Amra Nala situated in village Digwah and continue to pass parallel with southern boundary of Amra Nala in village Tal and through middle of compartment number 573 RF and meets at point 'D' on common eastern boundary of Gopad river and western boundary of compartment number 573 RF.

D-A: The line starts from point 'D' situated on common eastern boundary of Gopad river and western boundary of compartment number 573 RF and continue to passes through eastern boundary of Gopad river and western boundary of compartment number 573 RF, compartment number 350 RF and meets at starting point 'A'.

[F. No. 43015/19/2015-PRIW-I]

R. P. GUPTA, Jt. Secy.